



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3232-औसं-17/पाकालि/2024-11(1)ए0एस0/09(2023-24)

दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-3005-औसं-17/पाकालि/2022 दिनांक 03.08.2022 द्वारा दिनांक 16.06.2023 तक मान्यता प्राप्त बी0के0 हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा0लि0, नेवादा डी0एल0डब्लू0 रोड, वाराणसी की सामान्य एवं हृदय के केशलेस उपचार हेतु मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं जिला पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण-पत्र (Permanent Registration Certificate Renewal) दि0 03.07.2024, जो दि0 30.04.2025 तक के लिए वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं0-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश सं0-2691-औ0सं0/पाकालि/2016-11(11)एफ/86 (टीसी)(वो0-7) दिनांक 29.06.2016, आदेश सं0-320-औ0सं0-17/पाकालि/2024-11(1)ए0एस0/09 (2023-24) दिनांक 24.01.2024 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए0एस0/2004 दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरों एवं पुनरीक्षित दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 17.06.2023 से दिनांक 30.04.2026 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय की मान्यता अन्तः रोगी के रूप में उपचार कराने के साथ-साथ वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी विस्तारित की जाती है। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2335-औ0सं0-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. उक्त चिकित्सालय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के साथ-साथ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होगा।
5. चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:-3232-(1)/औसं-17/पाकालि/2024-तददिनांक :-

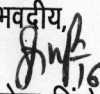
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/एस0एल0डी0सी0 लि0, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः 2/-

Medical New Letter

4. निदेशक (का0प्र0) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं कैस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 13. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. प्रबन्धक, बी0के0 हार्ट हॉस्पिटल प्लॉट नं0-7/1-आर-12, मिखारीपुर, नेवादा बी0एल0डब्लू0 बी0एच0यू0 रोड, वाराणसी
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, उ0प्र0 शासन, वाराणसी।
17. कट फाइल ।

भवदीय,

 (लोकेन्द्र सिंह)
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी